:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– के.आर.खोड
मूकदमा नम्बर 6/19 अपील

1. अब्दुल रहीम पिता सद्दीक जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

अपीलान्ट

बनाम

1. ईसुब पिता सद्दीक जाति मुसलमान
2. जुबेदा पिता सद्दीक जाति मुसलमान
3. रतनसिंह पिता पृथ्वीसिंह जाति राजपुत निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज
4. श्रीमान लेण्ड होल्डर जरीए तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

रेस्पोडेनट

उपस्थित :–
1 श्री विरेन्द्रसिह चौहान अधिवक्ता अपीलान्ट
2 श्री भवंरलाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी नामा.सख्या 98 आदेश प्रमाणित दिनांक 31/05/2013 अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम।

:: निर्णय :: दिनांक 27/02/2020

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक अपील बनाराजगी नामा.सख्या 98 आदेश प्रमाणित दिनांक 31/05/2013 अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट के पिता स्व. सद्दीक पिता रसूल मुसलमान के देहान्त होने पर पटवारी प.म. पीठ द्वारा नामान्तरण सख्या 98 द्वारा सद्दीक के वारीसान अब्दुल करीम ,एहमद, जुबेदा, पिता सद्दीक दर्ज रिकार्ड किया है जिसमें अपीलान्ट का नाम गलत दर्ज कर लिया है अपीलान्ट का सही एवं दस्तावेजी नाम अब्दुल रहीम है जबकि पटवारी द्वारा बिना जॉच पडताल किए, अपीलान्ट का नाम अब्दुल करीम दर्ज कर लिया है।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जा कर, रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया, रेस्पोडेन्ट की ओर से एडवोकेट भवरलाल ने वकालतनामा पेश किया तथा पक्षकारो ने आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया, अपीलान्ट की पहचान एडवाकेट विरेन्द्रसिह ने की, तथा रेस्पोडेन्ट की पहचान एडवोकेट भवरलाल ने की, ऐसे में राजीनामा अनुसार पूर्व में खोला गया नामान्तरण सख्या 98 को अपास्त किया जाता है।

अतः तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज को आदेशित किया जाता है कि गॉव पीठ का नामा.सख्या 98 अपास्त किया जाता है तथा अपीलान्ट का सही नाम अब्दुल रहीम दर्ज करते हुए नया नामान्तरण दर्ज किया जावे। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना कर, रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा
सीमलवाडा

आज दिनांक 27/02/2020. को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा
सीमलवाडा

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.06 14:41:52 IST
Reason: SelfAttested